श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड–२४९१९९
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांकः-6505 प्रशासन/एसडीएसयूवी/2026 दिनांकः 26 फरवरी, 2026

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टि0ग0
मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कार्मिक) एवं सुरक्षाकर्मियों की आपूर्ति हेतु निविदा विज्ञप्ति 2026–27

विश्वविद्यालय (प्रशासनिक भवन, पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश) में बाह्यश्रोत से मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कार्मिक) एवं सुरक्षाकर्मी तैनात किये जाने के सम्बन्ध में अनुभवी मान्यता प्राप्त पंजीकृत सुरक्षा एजेन्सियों/फर्मों से दिनांक 09.03.2026 सांय 05:00 बजे तक जैम के माध्यम से निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. मुख्य वित्त अधिकारी।
4. विश्वविद्यालय की आधिकारिक वैबसाइट हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव।

सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) हेतु निविदा आवश्यक शर्तें, वर्ष 2026–27

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये श्रम विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2024 की प्रचलित दरों पर कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल कर्मियों एवं सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता के लिये विभिन्न आउटसॉर्स सेवा प्रदात्ता फर्मों से शासनादेश में उल्लिखित निम्नलिखित दरों पर निविदा प्रख्यापित की जा रही है।

क्रम सं0	कर्मचारियों की श्रेणी	एक लाख या उससे अधिक आवादी वाले उत्तराखण्ड के नगरों में वयस्क कर्मचारियों की देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रति माह रूपये में)	उत्तराखण्ड के शेष भागों में देय मजदूरी की न्यूनतम दरें। (प्रति माह रूपये में)
01	अकुशल	12539	12391
02	अर्द्धकुशल	13280	13110
03	कुशल	14023	13838

तकनीकी निविदा शर्तें:–

1. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति की धनराशि रू0 80 हजार की एफ०डी०आर० (F.D.R) वित्त अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल के पदनाम से बंधक करते हुए संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे बिड सं०– 01 में ही संलग्न करें, अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन/समय–समय पर यथासंशोधित शासनादेशों के अनुसार श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य लाभ दिये जाने हेतु विश्वविद्यालय एवं एजेन्सी द्वारा नियमों के आलोक में नियमानुसार अनुमन्य करायी जाएगी।
3. उक्त निविदा 01 वर्ष हेतु प्रदान की जायेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उन्ही दरों पर दोनों पक्षों की सहमति से निविदा को आगामी अवधि के लिए विस्तारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
4. निविदादाता फर्म/एजेंसी/कंपनी का पंजीकरण Companies Act / Partnership Act /Society Act के अंतर्गत होना चाहिए।
5. फर्म के पास वैध PAN, GST, EPF, ESI तथा Labour Department Registration होना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता द्वारा ₹100 के स्टाम्प पेपर पर यह शपथपत्र देना अनिवार्य होगा कि फर्म किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा Blacklist नहीं की गई है।
7. बैक द्वारा जारी Solvency certificate जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

8. सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति सुरक्षा राशि (performance security) के रूप में रू0 05 लाख की एफ0डी0आर0 जमा की जानी आवश्यक होगी।
9. फर्म/उसके संचालकों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है, इस आशय का ₹100 के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की ITR उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी।
11. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की Audited Balance Sheet (CA द्वारा प्रमाणित)
12. निविदादाता का उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत/शाखा कार्यालय होना चाहिए।
13. निविदादाता का विगत तीन वर्षों का कुल टर्नओवर रू0 99 लाख होना आवश्यक है, जिस हेतु चार्टड एकाउण्टेण्ट का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

भुगतान की शर्तें:–

1. बिल भुगतान हेतु प्रत्येक माहवार प्रस्तुत किये जायेंगे, यदि बिल माहवार प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे तो भुगतान के विलम्ब हेतु सम्बन्धित फर्म ही उत्तरदायी होगी।
2. निविदा की दरें समस्त व्यय एवं करों सहित देनी होगी, अलग से किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
3. फर्मों द्वारा दरें (समस्त कर, जी०एस०टी० सहित) मासिक आधार पर अंकित की जाएं तद्नुसार ही मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
4. उपस्थिति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार सत्यापित की जाएगी। भुगतान तभी किया जायेगा जब– 1– उपस्थिति प्रमाणित हो, 2–EPF / ESI / GST चालान संलग्न हों एवं 3– मासिक बिल प्रस्तुत किया गया हो।

दण्डात्मक कार्यवाही :–

1. अनुबन्धित अवधि के दौरान सेवादाता द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन ठीक प्रकार से न किये जाने अथवा सन्तोषजनक सेवा प्रदान न किये जाने की दशा में Performance Security की पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि जब्त करने का अधिकार कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को सुरक्षित होगा।
2. विश्वविद्यालय अधिकृत अधिकारी/सदस्यों द्वारा मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) सुरक्षा संबंधी सेवाओं अथवा मैन पॉवर, सुरक्षाकर्मियों की समय–समय पर निरीक्षण करते हुए निगरानी (Monitering) की जाएगी। मैनपॉवर एवं सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थिति में उस दिवस के पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी। सेवाएं संतोषजनक न होने की दशा में सम्बन्धित माह में बिल से दण्ड के रूप में 5% से 10% तक कटौती की जायेगी।
3. मैनपावर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक)/ सुरक्षाकर्मी/सुरक्षाकर्मियों के कार्य से अनुपस्थित रहने की दशा में उनके स्थान पर किसी अन्य सुरक्षाकर्मी/कार्मिक को फर्म द्वारा ससमय नियोजित किया जायेगा, फर्म द्वारा ऐसा न करने पर सुरक्षाकर्मी/सुरक्षाकर्मियों का उस अनुपात में

पारिश्रमिक काट लिया जायेगा तथा फर्म पर शास्ति (penalty) स्वरूप उस माह के बीजक (बिल) से 10% की कटौती की जा सकेगी।

4. निविदा के साथ प्रस्तुत Earnest Money निम्न कारणों से जब्त की जा सकती है–
   - यदि बिडर द्वारा बिड की निर्धारित वैधता अवधि 90 दिवस के अन्दर बिड वापस ले ली जाती है।
   - यदि बिड स्वीकार किये जाने के उपरान्त अनुबन्ध गठित करने हेतु निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं करता है।
   - यदि Performance Security की अधिप्राप्ति नियमानुसार धनराशि एफ0डी0आर0 / बैंक गारन्टी के रूप में अनुबन्ध से पूर्व जमा न करने पर।
5. सम्बन्धित विभाग / सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पंजीकृत निविदादाता के कार्यों (परफोरमेन्स), आचरण आदि पर निगरानी रखी जायेगी। परन्तु यह कि यदि कोई पंजीकृत निविदादाता निविदा की शर्तों का अनुपालन करने अथवा समय से आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की आपूर्ति करता है अथवा किसी सरकारी एजेन्सी को गलत घोषणा / तथ्य प्रस्तुत करता है अथवा राज्य सकरार की दृष्टि में कोई अन्य आधार, जो जनहित में न हो तो उसे निविदादाता की अनुमोदित्त सूची से हटा दिया जायेगा।
6. कार्यदायी फर्मों द्वारा प्रदत्त सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सेवा में कमी पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सेवा/अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा एवं साथ ही धरोहर राशि (ई०एम०डी०) जब्त करते हुए काली सूची में नाम दर्ज कर दिया जाएगा।

अन्य आवश्यक शर्तें:–

1. उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षाकर्मी / मैनपावर / सुपरवाईजर का पूर्ण विवरण पुलिस सत्यापन के साथ सेवायें प्रारम्भ करने के समय विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
2. सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर (अकुशल, अर्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) हेतु रखे जाने वाले कर्मियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम न हो (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) एवं रखे जाने वाले सुरक्षा कर्मी शारीरिक रूप से हृष्ट–पुष्ट हों। मैनपावर एवं सुरक्षाकर्मियों की संख्या अनुमानित दी गयी है जो कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार कम व अधिक की जा सकती है।
3. जो कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगे, उनका कोई अपराधिक इतिहास न हो। यह सुनिश्चित करना फर्म का दायित्व होगा। सुपरवाइजर द्वारा प्रतिदिन ड्यूटी चैक कर उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय में नामित अधिकारी को दी जाएगी ऐसा नहीं करने पर पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी।
4. सेवा की मासिक शुल्क/मासिक लागत के भुगतान के देयक से नियमानुसार आयकर कटौती एवं जी०एस०टी० कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

5. उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों का पारिश्रमिक सम्बन्धित फर्म द्वारा सीधे कार्मिकों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिसका विवरण सूची रसीद विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ई०पी०एफ०, ई०एस०आई की धनराशि उनके ई०पी०एफ० ई०एस०आई० खाते में निर्धारित समय पर जमा करनी होगी, जिसकी विवरण सूची रसीद विश्वविद्यालय को अगले माह के बिल के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। तभी बिल पर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। फर्म द्वारा कार्मिकों को उनके मासिक, E.P.F., E.S.I. जमा की सूचना व मासिक वेतन स्लिप भी देनी आवश्यक होगी। ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 हेतु जमा करने का दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। इस पर विश्वविद्यालय में कोई दावा नहीं किया जायेगा।
6. संस्था अपने कर्मियों को एक परिचय पत्र जारी करेगी, जिसे सम्बन्धित कार्मिक द्वारा ड्यूटी पर धारण करना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी/ मैनपॉवर की सूची मय बायोडाटा/फोटो एवं नाम व पते का विस्तृत विवरण पहचान सहित विश्वविद्यालय को कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना होगा। यदि फर्म द्वारा विश्वविद्यालय से किया गया अनुबन्ध समय से पूर्व समाप्त किया जाना हो तो इसकी सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व लिखित रूप में वैध कारण सहित देनी होगी। फर्म द्वारा बिना नोटिस दिये समय पूर्व अनुबन्ध समाप्त करने पर कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।
7. संस्था द्वारा अनुबन्ध की मासिक धनराशि का देयक माह समाप्त होने के उपरान्त प्रस्तुत करना होगा।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय सक्षम अधिकारी/विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिये कोई पृच्छा /कारण नहीं जायेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नही होगा।
9. निविदादाता / फर्मों का पंजीकरण उसी के नाम से आयकर विभाग एवं जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
10. विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निविदा को निरस्त करने का अधिकार रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोलने पर विचार किया जायेगा।
12. फर्म अनुभवी सुरक्षाकर्मियों को भी नियुक्त करेगा एवं विश्वविद्यालय / परिसर का युक्तियुक्त तरीके से रखरखाव करेगा। नियुक्त सुरक्षाकर्मी विश्वविद्यालय/परिसर की गरिमा एवं गोपनीयता बनाये रखेंगे। यदि किसी सुरक्षाकमी द्वारा गरिमा / गोपनीयता के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो सम्बन्धित सुरक्षाकर्मी को तत्काल हटाना होगा तथा ऐसे सुरक्षाकर्मी के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही की जायेगी एवं सम्बन्धित फर्म को भी जवाब देह बनाया जायेगा।
13. फर्म का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले के मैनपावर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) एवं सुरक्षाकर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान माह समाप्त होने के 07 दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें।

14. कार्य स्थल पर तैनात किए गए सुरक्षाकर्मियों के साथ डयूटी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना हेतु विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
15. नियोजित कार्मिकों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
16. विश्वविद्यालय सम्पत्ति को फर्म द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मी द्वारा किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए जाने की स्थिति में उसका भुगतान फर्म को करना होगा।
17. फर्म द्वारा नियोजित किये गये सुरक्षाकर्मियों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानों का पालन करना फर्म का उत्तरदायित्व होगा। फर्म को सम्बन्धित कानून की जानकारी ना होना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जायेगा।
18. विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान, मादक पदार्थ रहित क्षेत्र है। फर्म द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मी विश्वविद्यालय/ परिसर में किसी प्रकार के धूम्रमान, मादक पदार्थ का प्रयोग कदापि नहीं करेगा।
19. विश्वविद्यालय के द्वारा निविदाएं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के नियमों के अन्तर्गत आमंत्रित की जा रही हैं। किसी भी विसंगति अथवा असंगति की स्थिति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के समस्त प्राविधान व सिद्धान्त अंतिम रूप से प्रभावी होंगे।
20. एल०-1 का निर्धारण सर्विस चार्ज के आधार पर किया जायेगा।
21. मजदूरी की गणना वित्तीय बिड में उल्लिखित सर्विस टैक्स के आधार पर की जायेगी।
22. किसी भी वाद के लिये न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत रहेगा।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव।

पत्रांकः–6505/प्रशासन/एसडीएसयूवी/2026 दिनांकः 26 फरवरी, 2026

बिड नम्बर–01

निविदा तकनीकी प्रपत्र (सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर कार्य हेतु) 2026

1	निविदा फॉर्म शुल्क जमा का विवरण	
2	निविदा प्रतिभूति (EMD) विवरण 1. धनराशि 2. ड्राफ्ट नं0/एफ0डी0आर0 सं0 3. दिनांक 4. जारीकर्ता बैंक का नाम	
3	निविदादाता फर्म / एजेन्सी की स्थापना की तिथि व पंजीकरण संख्या (छायाप्रति संलग्न)	
4	निजी सुरक्षा ऐजेंसी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत लाइसेंस अधिनियमावली 2005 के तहत लाइसेंस	
5	पैन एवं टैन नम्बर (संलग्न छायाप्रति)	
6	उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत फर्म लाईसेन्स (छायाप्रति संलग्न)	
7	जी० एस० टी० नम्बर (संलग्न छायाप्रति)	
8	ई० पी० एफ० रजिस्ट्रेशन नम्बर (संलग्न छायाप्रति)	
9	Labour Department Registration (संलग्न छायाप्रति)	
10	पिछले तीन वित्तीय वर्षों की ITR उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी।	
11	किसी राजकीय / केन्द्रीय विभाग / संस्थान में काली सूची (Black listed) में नाम दर्ज नहीं होने संबंधित घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र (संलग्न प्रति)–	
12	पसारा लाइसेन्स, उत्तराखण्ड (Pasara Licence) (संलग्न छायाप्रति)	
13	पिछले तीन वित्तीय वर्षों की Audited Balance Sheet (CA द्वारा प्रमाणित)	
14	निर्धारित शर्तों के प्रारूप की घोषणा पत्र हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है	
15	विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	
16	निविदादाता का विगत तीन वर्षों का कुल टर्नओवर रू0 99.00 लाख होना आवश्यक है, जिस हेतु चार्टड एकाउण्टेण्ट का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
17	बैंक द्वारा जारी Solvency Certificate जमा किया जाना अनिवार्य होगा।	

18	अनुभव प्रमाण–पत्र (विभिन्न राजकीय विभागों / संस्थाओं / अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में सुरक्षा कार्य व अन्य मैनपॉवर आपूर्ति करने का न्यूनतम 07 वर्षों का अनुभव, जिसमें न्यूनतम प्रतिवर्ष 60 कार्मिको को लगाया हो तथा अन्य मैनपॉवर में प्रतिवर्ष 15 कार्मिकों को लगाया हो) का विवरण इस हेतु राजकीय कार्यालय / संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रमाण–पत्र न होने पर ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।	
	• राजकीय कार्यालय / संस्थान का नाम	
	• पूर्व वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण	
	• न्यूनतम 60 सुरक्षाकर्मी एवं 15 अन्य प्रकार के मैनपॉवर लगाये गये या उससे अधिक का विवरण	
	• अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न (हो या नहीं)	
19	संलग्न की उपरोक्त क्रमवार संख्या	
20	मोबाईल नम्बर	

कुलसचिव।

फर्म का नाम–

हस्ताक्षर / मुहर